संख्या-107/2023/001-3064-24-1-20223-51-2023

प्रेषक,

प्रभंजन यादव,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक 22 दिसम्बर, 2023

विषय:–वित्तीय वर्ष 2023-24 में रिवैम्प्ड योजनान्तर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों की हानियों की फण्डिंग मद में वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-1224/अधि0नि0(वित्त)/वि0प्र0-2/आय-व्ययक/2023-24/436, दिनांक 08 दिसम्बर, 2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में ऊर्जा विभाग के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्ष-2801-05-800-09-20 में रिवैम्प्ड योजनान्तर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों की हानियों की फण्डिंग मद हेतु मूल बजट एवं अनुपूरक बजट सहित कुल प्राविधानित धनराशि रूपये 9700,00,00,000/- (रूपये नौ हजार सात सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 3200,00,00,000/- (रूपये तीन हजार दो सौ करोड़ मात्र) स्वीकृत कर आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) शासनादेश संख्या- 2827/24-1-1-2023-51/2023, दिनांक - 18 नवम्बर,2023 द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 952.50 तथा अनुपूरक बजट में प्राविधानित धनराशि रूपये 3200.00 करोड़ अर्थात कुल धनराशि रूपये 4152.50 करोड़ में से धनराशि रूपये 1002.50 करोड़ को माह दिसम्बर, 2023 में 15 तारीख तक एवं अवशेष धनराशि रूपये 3150.00 करोड़ को माह जनवरी, 2024 से माह मार्च, 2024 तक धनराशि रूपये 1050.00 करोड़ की तीन समान मासिक किश्तों में माह के प्रथम सप्ताह में किया जायेगा।

(2) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड -5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखा शीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज और ऊर्जा विभाग तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

(4) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता होने पर किया जायेगा।

(5) इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ०प्र० पॉवर कारपोरेशन लि० द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 32,00,00,00,000 (रुपये बत्तीस अरब मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 009 लेखा शीर्षक 2801058000900 रिवैम्प्ड योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों की हानियों की फण्डिंग मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-10-128-X-2023-24- दिनांक:20-12-2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

प्रभंजन यादव
अनु सचिव।

संख्या–107/2023/001-3064(1)-24-1-2023-51-2023, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001
2- प्रधान महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)-प्रथम, 15 ए, दयानन्द मार्ग, सिविल लाइन, प्रयागराज-211001
3- कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा-।।), उ0प्र0, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
4 - मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

प्रभंजन यादव
अनु सचिव।